न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 105 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जवरीलाल चौधरी पुत्र लालूराम जाति सीरवी निवासी चण्डावल नगर हाल निवासी नियर जवाई की नहर, जनता कॉलोनी, पाली तह0 व जिला पाली राज0		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता वादी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

दिनांक — 27/08/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम मुरडावा, पटवार हल्का मुरडावा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में वादी की संयुक्त हक, हकूक, खरीदसुदा, खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 346 रकबा 2. 7700 है0, ख0नं0 347 रकबा 2.8100 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.5800 है0 आयी हुई स्थित है, जिसमें वादी का 1/4 संयुक्त हिस्सा, हक हकूक खातेदारी कब्जा का बनता हैं। मेरे पिता लालूराम का स्वर्गवास हो चुका है। वादी के पिता ने उक्त वादरथ कृषि भूमि में वादी का नाम दर्ज करवाते समय घर के लाड़ प्यार का नाम वादी जोराराम पुत्र लालुराम अंकित करवा दिया। जबकि वादी का वास्तविक नाम जवरीलाल चौधरी पुत्र लालूराम है। वादी के शैक्षणिक दस्तावेजात तथा पहिचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, तथा अन्य राजस्व रोकर्ड में वादी का नाम जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम दर्जसुदा है। जिन तमाम दस्तावेजों की प्रतियां वाद पत्र के साथ संलग्न की गई है। वादी के पिता लालूरामजी के जोराराम के नाम से किसी प्रकार की कोई संतान नही है, लालुराम के जवरीलाल, चुतराराम, दीपाराम, गोरधनलाल, भोमाराम ही है। इसके अलावा अन्य कोई विधिक उतराधिकारी नहीं है। जोराराम पुत्र लालुराम एवं जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम दोनों एक ही व्यक्ति है। अलग अलग व्यक्ति नहीं है। वादरथ कृषि भूमि के मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है तथा वादी ही उक्त वादरथ कृषि भूमि का उपयोग, उपभोग बिना किसी बाधा के खुलम खुला शारस्वत रूप से करता आ रहे है। वादी का नाम राजस्व रेकड मे त्रुटिवश एवं गलतीवश वास्तविक नाम दर्ज नहीं होने की वजह से वादी उक्त कृषि भूमि के उपयोग उपभोग मे काफी असुविधा उत्पन्न हो रही है। इसलियें वादी राजस्व रेकर्ड मे जोराराम को दुरूस्त कर जोराराम के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जवरीलाल चौधरी के दर्ज करवाये जाने का अधिकारी होने से यह वाद खातेदारी घोषणा का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी पेश किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सैटलमेन्ट के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों द्वारा पर्चा लगान सम्वत् 2030–2033 को तैयार करते समय सद्भाविक त्रुटि व गलतीवश वादी का गलत नाम जोराराम अंकित कर दिया गया था। इस प्रकार वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र लालुराम घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम जवरीलाल पुत्र लालुराम दर्ज किया जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रा0पत्र पेश कर निवेदन किया कि पैरा सं0 01 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा चंडावल में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 05 में वर्णित तथ्य वादी स्वयं साक्ष्य साबित करना तथा पैरा सं0 06 से 09 कानूनी होना अंकित किया हैं।

तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व /2024/202 दिनांक 22.02.2024 के जरिये निवेदन किया कि ग्राम मुरडावा के वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 82 में जोराराम पुत्र लालुराम जाति सिरवी दर्ज हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में जवरीलाल पुत्र लालुराम एवं दावा प्रकरण के अवलोकन पश्चात् ग्राम मुरडावा के खाता सं0 82 में जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र लालुराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की है, की रिपोर्ट पेश की।

अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति ग्राम मुरडावा के ख.नं. 346, 347 की वर्तमान जमाबंदी, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, पर्चा लगान की प्रमाणित प्रति, सरहद मौजा चण्डावल के ख.नं. 1614 की जमाबंदी की फोटो प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, टी0सी0 इत्यादि की फोटो प्रति पेश की, सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम मुरडावा तह0 सोजत के खसरा नंबर 346, 347 कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.5800 है0 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश जवरीलाल चौधरी के स्थान पर जोराराम दर्ज किये गये इन्द्राज को पुनः दुरस्त करवाकर जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम दर्ज करवाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद मय शपथ पत्र, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया।

वस्तुतः अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित प्रति ग्राम मुरडावा के ख.नं. 346, 347 की वर्तमान जमाबंदी, खसरा मिलान की प्रमाणित प्रति, पर्चा लगान की प्रमाणित प्रति, सरहद मौजा चण्डावल के ख.नं. 1614 की जमाबंदी की फोटो प्रति, आधार कार्ड सं0 3194 6740 8199, पैन कार्ड सं0 ATBPS8929G, मतदाता पहचान पत्र सं0 RJ/21/164/291626, टी0सी0 इत्यादि की फोटो प्रति पेश किये हैं। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सोजत द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में ग्राम मुरडावा के खाता सं0 82 में जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल पुत्र लालुराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं। जिससे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम जोराराम पुत्र लालुराम नहीं होकर जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम मुरडावा, पटवार हल्का मुरडावा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 346 रकबा 2.7700 है0, ख0नं0 347 रकबा 2.8100 है0 कुल खसरा 02 कुल रकबा 5.5800 है0 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जोराराम पुत्र लालुराम के स्थान पर जवरीलाल चौधरी पुत्र लालुराम दुरूस्त इन्द्राज किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)